प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 06.06.2025*

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता निर्मल पुत्र रामप्यारे निवासी बइसा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री तूफानी सिंह यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता राजाराम पुत्र टीमल निवासी औरही थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 16 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 142 वाहनों से 1,37,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 142 वाहनों से 1,37,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को आबकारी अधि0 के मामलें में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 06.06.2025 को ***मा0न्यायालय सी0जे0 (एस0डी0) एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा 01 अभियुक्ता को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः- मु0अ0सं0 41/2018 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्ता जसमती पत्नी खजान्ती निवासी शिवरही थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 17.02.2018को उ0नि0 श्री डी0पी0 तिवारी मय हमराह द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 10 ली0 कच्ची शराब के साथ ग्राम शिवरही पोखरा के पास से गिरफ्तार किया गया था। मा0 न्यायालय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में गिरफ्तार अभियुक्ता को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दुधारा *श्री इन्द्रभूषण सिंह* के नेतृत्व में *थाना दुधारा पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 327/2025 धारा 3(1), 2(b)(I) 30प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता अभय गोड़ पुत्र सुनील गोंड़ निवासी महनी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को विधिक नियमों का पालन करते हुये परसाकला बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अभय गोड़ पुत्र सुनील गोंड़ निवासी महनी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

संक्षिप्त विवरणः-

विदित हो कि उक्त अभियुक्त का एक सुसंगठित गिरोह है, जो अपने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। थाना कोतवाली खलीलाबाद व थाना बखिरा में हत्या के अभियोग दर्ज होने से समाज में काफी भय, आतंक व्याप्त है तथा उक्त अभियुक्तगणों के भय व आतंक से किसी व्यक्ति द्वारा इनके विरुद्ध इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की सूचना व गवाही देने से डरने के दृष्टिगत गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 25.04.2025 को अभियुक्तगण 01. दुर्गेश पाल पुत्र योगेन्द्र पाल उर्फ जोगेन्द्र पाल 02. योगेन्द्र पाल उर्फ जोगेन्द्र पाल पुत्र रंजीत पाल 03. जनार्दन पाल पुत्र रंजीत पाल 04. ज्ञानचन्द निषाद पुत्र हरिनाथ निवासीगण परसा झकरिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया था। कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किए जाने के उपरान्त थाना दुधारा पुलिस द्वारा उक्त गैंगेस्टर अभियुक्त को आज दिनांक 06.06.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास* -**

01- मु0अ0सं0 327/2025 धारा 3(1), 2(b)(I) 30प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

02- मु0अ0सं0 49/2022 धारा 147/302/34 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

03- मु0अ0सं0 09/2020 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थानाध्यक्ष दुधारा श्री इन्द्रभूषण सिंह, का0 रंजन कुमार सिंह, हे0का0चा0 प्रमोद कुमार सिंह।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 650 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री रामकृष्ण मिश्र के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति रामचन्दर पुत्र हरिराम निवासी हैंसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 06.06.2025 को प्रा0वि0 बारीडीहा के पास से कुल 650 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रामचन्दर पुत्र हरिराम निवासी हैंसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 275/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- कुल 650 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री अनिल यादव, का0 विनय सिंह, का0 आशुतोष पाण्डेय।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को आबकारी अधि0 के मामलें में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 06.06.2025 को ***मा0न्यायालय सी0जे0 (एस0डी0) एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा 01 अभियुक्ता को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 280/2019 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्ता जसमती पत्नी खजान्ती निवासी शिवरही थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 06.11.2019 को उ0नि0 श्री नत्थू प्रसाद मय हमराह द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 05 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ ग्राम शिवरही मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया था। मा0 न्यायालय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में गिरफ्तार अभियुक्ता को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मारपीट करने व जबरन वसूली करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली *श्री रजनीश राय* के नेतृत्व में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 191/2025 धारा 308(2), 352, 115(2), 351(3) बीएनएस व 3(1)द,ध व 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अदरेश यादव पुत्र दुलारे यादव निवासी सकरैचा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी पाना देवी पत्नी स्व0 चुन्नीलाल निवासी महुली हाल मुकाम नाथनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 06.06.2025 को थाना महुली पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर दिया गया कि वादिनी नाथनगर चौराहा पर फल की दुकान लगाती है व उनके 02 लड़के वीरेन्द्र व लक्ष्मण आटो रिक्शा चलाते है जिनसे अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जबरन वसूली की गयी तथा मना करने पर मारपीट की गयी। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 06.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 206/2023 धारा 385 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

02. मु0अ0सं0 191/2025 धारा 308(2), 352, 115(2), 351(3) बीएनएस व 3(1)द,ध व 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री वीरेन्द्र मिश्रा, हे0का0 श्रीकान्त यादव।